संख्या-336/2015-3145/नौ-5-2015/13बजट/2011टीसी

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

एस.एल.एन.ए./निदेशक,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 05 नवम्बर, 2015

विषयः जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के बस्ती नगर की सड़क निर्माण परियोजना की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बस्ती के पत्रांक-768/न0पा0प0ब0/यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0, दिनांक 18 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत **बस्ती नगर की सड़क निर्माण परियोजना** की द्वितीय पुनरीक्षित प्रायोजना अनुमानित लागत रू0 3499.71 लाख को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-08-2015 में सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् रू0 3492.74 लाख पर अनुमोदित किया गया है। अतः सन्दर्भित परियोजना की पुनः पुनरीक्षित प्रायोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित अनुमोदित लागत **रू0 3492.74 लाख (रू0 चौतीस करोड़ बानवे लाख चौहत्तर हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने पर श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.	परियोजना का विवरण	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	शासनादेश संख्या- 1905/नौ-5-2011-13बजट/2011, दिनांक 25-08-2011 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में अनुमोदित लागत	व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-08-2015 में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत
1	बस्ती नगर की सड़क निर्माण परियोजना	2376.94	3085.42	3492.74

(रू0 चौतीस करोड़ बानवे लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष बढ़ी हुई लागत नगर पालिका परिषद, बस्ती द्वारा वहन की जायेगी।

(4) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनियश्चत किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगायी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-यू.ओ.-ई-8-2855/दस-2015, दिनांक 04 नवम्बर,, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-336/2015-3145(1)/नौ-5-2015/13बजट/2011टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, बस्ती।
4- कोषाधिकारी, बस्ती।
5- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बस्ती।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Shashnadesh.up.nic.in